

निवेदन हेतु श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी पवन कुमार पुत्र कृष्णलाल दतक पुत्र बृजलाल निवासी घमूडवाली तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद, वसीयतकर्ता की पत्नी सरस्वती देवी का शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरे दतक पिता बृजलाल पुत्र बहादरराम जाति जाट निवासी घमूडवाली तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 26.05.2010 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 21.08.2013 को हो चुका है।, जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान पृथ्वीराज पुत्र लिच्छीराम एवं रतनदीप पुत्र महावीर प्रसाद ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता अरविन्द जाखड श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/112

अरवि
जाखड

k

All are identified
2021/112
Ad.

जिला पंजीयक
श्री प्रयावक